


राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.11(39)गृह-12/कारा/2001पार्ट

जयपुर, दिनांक : 05/01/2016


:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2015 के द्वारा केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर के लिए श्री तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा को गैर सरकारी दर्शक मनोनीत किया गया है, परंतु कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक न्याय/ज्ञापन/15/11237 दिनांक 23.11.15 के संदर्भ में राज्य सरकार राजस्थान कारागार नियम-1951 के पार्ट-23 के नियम 4(ग) के तहत निर्देशित करती है कि श्री तेजेन्द्रपालसिंह टिम्मा अग्रिम आदेशों तक केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर का वीक्षण नहीं करेंगे।


(के.के. शर्मा),
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा. कारागार मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राज0, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
4. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पत्रांक एफ17(1)(1)न्याय/2014/10194 दिनांक 15.09.2014 एवं न्याय/ज्ञापन/15/11237 दिनांक 23.11.2015 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा के संबंध में प्राप्त शिकायत के संबंध में 7 दिवस में रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। उक्त आदेश की प्रति गैर सरकारी दर्शक श्री तेजेन्द्रपाल सिंह टिम्मा को उपलब्ध कराने का श्रम करें एवं उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर।
6. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव